न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मसूदा

राजस्व वाद सं0 15/2015

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम

दुर्गालाल उम्र बालिग पुत्र श्री हीरा जाति रेगर निवासी मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर ।

---- वादी

बनाम

1. पोलूराम पुत्र श्री भूरा जी जाति रेगर निवासी मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील परिसर मसूदा जिला अजमेर ।

---- प्रतिवादीगण

1. वादी दुर्गालाल उपस्थित
   वादीगण
2. श्री अनिल मिश्रा
   अभिभाषक वाद उपस्थित

श्री पोलूराम प्रतिवादीगण उपस्थित

निर्णय

दिनांक 30.09.216

वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम भगवानपुरा पटवार क्षेत्र देवमाली तह. मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख.नं. 400 रक्बा 1–15–00 व 404 रक्बा 4–10–10 तथा 405 रक्बा 1–06–10 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारों की भूमियां है जिनका पक्षकारान के मध्य जरिये मिट्स एण्ड बॉण्ड विभाजन करवाया जाकर वाद सीमांकन के हिस्से अनुसार कब्जा पक्षकारान को संम्भलाई जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी के हिस्से में दखलन्दाजी आदि से निषेध किया जावे ।

वाद के विचाराधीन चलते पक्षकारान ने आम सहमति से विवादित भूमियों का विभाजन कर बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जो निम्न प्रकार है :–

वादी दुर्गालाल				प्रतिवादी पोलूराम			
ख.नं.	रक्बा	किस्म	लगान	ख.नं.	रक्बा	किस्म	लगान
400/1	0–17–10	ता.3	5.85	400/2	0–17–10	ता. 3	5.85
404/1	2–05–05	ता.3		404/2	2–05–05	ता.3	
405/1	0–14–05	ता.3		405/2	0–14–05	ता.3	
3	3–17–10			3	3–17–10		

बटवारा प्रस्ताव उपस्थित पक्षकारान को पढ कर सुनने व समझाने पर उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किये । अतः अभिलेख पर लिए जाते है यथानुसार वाद डिक्री कर राजस्व अभिलेख में बटवारे का अमल करने के आदेश तहसीलदार मसूदा पर जारी किये जाते है । उभय पक्ष अपने–अपने हिस्से पर ही काबिज रहे एक दूसरे की आराजी में दखलंदाजी नहीं करें ।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2016 को न्यायालय हाजा पर सुनाया गया ।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.06 15:22:13 IST
Reason: SelfAttested